प्रेस नोट
दिनांक 20.06.2024

खातो से आधार एनेवल पेमेन्ट सिस्टम के माध्यम से ठगी करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद लैपटाप, विभिन्न कम्पनियों के सिमकार्ड, विभिन्न बैंको के डेविट कार्ड सहित 06 आधार कार्ड व 07 पैन कार्ड बरामद–

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर थाने की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–01/2022 धारा 419,420 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र नन्दकिशोर निवासी पुरमोती थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को खोरहंसा बाजार के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से **01 लैपटाप, 05 अदद मोबाइल, 20 अदद सिम कार्ड, 12 अदद विभिन्न बैंक के डेविट कार्ड, 05 अदद पासबुक, 08 अदद चेक बुक, 06 अदद आधार कार्ड, 07 अदद पैन कार्ड** बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

आवेदक अमरीश कुमार मिश्रा नि0 डिक्सिर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा अपने बैंक खातों (इण्डियन बैंक ,ग्रामीण बैंक ,प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक) से भिन्न–भिन्न दिनांक को कुल 8,32,500/– रूपये आधार कार्ड के माध्यम से निकल जाने के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा साइबर सेल को जांच सौपी गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बन्धित बैंकों/इंटीमेडरी से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करते हुए पूर्व में ही आवेदक के 8,23,000/– वापस कराये गए थे एवं थाना साइबर क्राइम गोण्डा में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त अशोक कुमार को साइबर क्राइम थाने की टीम द्वारा खोरहंसा बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना साइबर क्राइम गोण्डा द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः–

गिरफ्तार अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अशोक कुमार सन 2021 में सन्तनगर बुरारी दिल्ली में अपने बिहार के रहने वाले दोस्त प्रिन्स के साथ रहता था वही पर दोनो रजिस्ट्री के पेपर को आनलाइन निकाल कर उस पर लगे अंगूठे के निशान की क्लोनिंग कर रबर पर अंगूठा निशान का मोहर बना लेते थे। रजिस्ट्री के साथ आधार नम्बर भी उपलब्ध होता था। जिसका प्रयोग कर आधार एनेवल पेमेन्ट सिस्टम के माध्यम से खाते से अवैध ट्रान्जेक्शन करके काफी लोगो को ठगी का शिकार बनाया गया था। इन लोगो ने प्रकाश वर्मा नाम की फर्जी आईडी पर सीएसपी (ग्राहक सेवा प्रदाता) बनायी थी। अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 18.02.2022 को अम्बेडकर नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जमानत से छूटने के बाद अभियुक्त द्वारा पुनः इस अपराध को करने का प्रयास किया किन्तु आनलाइन रजिस्ट्री रिकार्ड न निकल पाने के कारण अभियुक्त अशोक ने पहचान छिपाकर फर्जी पैन व आधार कार्ड बनवाकर घर से दूर निवास करते हुए फर्जी खाते खुलवाता था तथा इन खातों को साइबर अपराधियों को ठगी के पैसे हेर फेर करने के लिए उपलब्ध कराकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. अशोक कुमार पुत्र नन्द किशोर नि0 पुरमोती थाना दोहराघाट जनपद मऊ।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–01/2022 धारा 419,420 भादवि व 66डी आई0टी0 बढोत्तरी धारा 467,468,471 भादवि थाना साइबर क्राइम जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवरणः–

01. 01 अदद लैपटाप।
02. 05 अदद मोबाइल।
03. 20 अदद सिम कार्ड विभिन्न कम्पनियों के।
04. 12 अदद विभिन्न बैंक के डेविट कार्ड।
05. 05 अदद पासबुक विभिन्न बैंकों के।
06. 08 अदद चेक बुक विभिन्न बैंकों के।
07. 06 अदद आधार कार्ड।
08. 07 अदद पैन कार्ड।
09. 500 रू0 नगद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–31/2022 धारा 66डी आईटी एक्ट थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर।
02. मु0अ0सं0–72/22 धारा 66सी आईटी एक्ट थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
03. मु0अ0सं0–20/22 धारा 419,420 भादवि थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर।
04. मु0अ0सं0–36/22 धारा 307 भादवि थाना अहरौली जनपद अम्बेडकर नगर।
05. मु0अ0सं0–105/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधि0 थाना अहरौली जनपद अम्बेडकर नगर।
06. मु0अ0सं0–25/22 धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट थाना मालीपुर अम्बेडकर नगर।
07. मु0अ0सं0–34/19 धारा 419,420,467,468 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना रौनापार आजमगढ।
08. मु0अ0सं0–03/2022 धारा 419,420 भादवि 66 सी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम थाना आजमगढ़।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 सत्य प्रकाश यादव साइबर क्राइम थाना जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 मोहन यादव थाना साइबर क्राइम।
03. का0 आदित्य कुमार शाह थाना साइबर क्राइम।
04. का0 अजय कुमार यादव थाना साइबर क्राइम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 20.06.2024, साइबर सेल
जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में साइबर सेल गोण्डा द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से 40,000/- फ्रॉड गई धनराशि मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान,

गोण्डा। जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीड़ित से फ्रॉड की गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए ठगी गयी धनराशि 40,000/- पीड़ित के खाते में वापस करवाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आवेदका के द्वारा ट्रेडिंग करने के लिए रू0 48,899/- फ्राड़ खाते में भेजे जाने की की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल गोण्डा को निर्देशित किया गया था। जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए फ्राड की धनराशी रू0 40,000/- पीड़िता की वापसी करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए साइबर सेल गोंडा को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.06.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-227/2024, धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित नामजद 03 आरोपी अभियुक्त 01. मुकेश तिवारी, 02. रसीले कोरी व 03. जितेन्द्र प्रताप कोरी को किशुनदास पुर मोड़ के पास से थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत थानाध्यक्ष वजीरगंज श्री अभय सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-227/2024, धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट, बनाम 01. मुकेश तिवारी आदि 05 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक नवाबगंज द्वारा किया जा रहा था आज दिनांक 20.06.2024 को नामजद 03 आरोपी अभियुक्तों 01. मुकेश तिवारी, 02. रसीले कोरी व 03. जितेन्द्र प्रताप कोरी को किशुनदासपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं को बध करने हेतु पकडते है और उनका मांस काटकर बेचते है। इस गैंग का लीड़र रसीले कोरी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मुकेश तिवारी पुत्र शिवपूजन तिवारी निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. रसीले कोरी पुत्र रामदीन कोरी निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. जितेन्द्र प्रताप कोरी पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-227/2024, धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय
02. का0 अतुल कुमार सिंह
03. का0 अखिलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.06.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा भय दिखाकर जबरन वसूली करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 203/2024 धारा 386, 504, 506 भा0द0वि0 भादवि से सम्बन्धित नामजद 02 वांछित अभियुक्तों-01. अनन्तराम यादव, 02. पुरूषोत्तम सिंह उर्फ ट्विंकल सिंह को रेहली मोड़ टिकरी रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। जमातलाशी में अभियुक्त अनन्तराम यादव के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.06.2024 को वादी राकेश कुमार नायक पुत्र स्व0 बृज कुमार नायक निवासी ग्राम रजादेपुर उर्फ कादीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना नवाबगंज को सूचना दी की वह ABMM रिलीफ फाऊन्डेशन लि0 में इस्माइलपुर की साइड़ का मैनेजर है। आज विपक्षी अनन्तराम यादव के साथ 3 लोग उनके साइड पर आये और साइड पर काम कर रहे इंजीनियर अखिलेश गिरि व वादी को मारने पीटने लगे और धमकी दिया की इस साइड पर काम करना है तो अपने मालिक से कहो कि 10 लाख रू0 दे तभी काम कर पाओगे नही तो जान से मार दूगाँ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 386, 504, 506 भा0द0वि0 बनाम अनन्तराम यादव आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 20.06.2024 को 02 आरोपी अभियुक्तों-01. अनन्तराम यादव, 02. पुरूषोत्तम सिंह उर्फ ट्विंकल सिंह को रेहली मोड़ टिकरी रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। जमातलाशी में अभियुक्त अनन्तराम यादव के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अनन्त राम यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी जफरापुर खुर्दाबाद थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. पुरूषोत्तम सिंह उर्फ ट्विकल सिंह पुत्र देव सिंह निवासी इस्माइलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 203/2024 धारा 386, 504, 506 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः-

01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संजीव सिंह
02. हे0का0 सुनील यादव
03. हे0का0 रविन्द्र सिंह
04. हे0का0 राजकिशोर
05. हे0का0 विपिन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।